न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्र.प. संख्या 05/2020

रामेश्वर बनाम मूलचन्द

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आवेदन

आदेश

दिनांक – 18.7.2022

अप्रार्थी संख्या 1 मूलचन्द द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए में विधिक आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने विचाराधीन आवेदन इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि तक पहूचने के लिये रास्ते का उपयोग हमारे पूर्वजो के समय से लगातार करते रहे हैं उस रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय से यह सहायता चाही है कि अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमायी जावे कि प्रार्थीगण के पैरा नं0 1 में वर्णित रास्ता को बंद नहीं करें तथा बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थीगण द्वारा किये गये कथनों के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन 251 आरटीएक्ट का है जिसकी सुनवाई का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। अतः आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब आपत्ति आवेदन में प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण ने इस रास्ते की सत्यता जानने के लिये रास्ते को बन्द करते समय बार बार संबधित अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया । प्रार्थीगण द्वारा अपने क्षैत्र में लगाये गये केम्पों में भी आवेदन के जरिये इस समस्या से अवगत करवाया गया । परन्तु कोई समाधान नहीं मिला। तब यह आवेदन लगाया गया । प्रार्थीगण ने दिनांक 24.8.2020 को यह आवेदन प्रस्तुत किया था वकील अप्रार्थी ने दिनांक 1.9.2021 को यह आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया है जो उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। मामले की गम्भीर परिस्थितियों को देखते हुऐ रास्ते सबंधित प्रकार का निस्तारण किया जावे। जिससे प्रार्थीगण को आर्थिक व असहनीय हानि से बजाया जा सके । रास्ते की आवश्यकता के बारे में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीयों ने भी इसे स्वीकारन किया है।

18/7/22

बहस वकील उभय पक्ष सूनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराया एवं जवाब आवेदन के तथ्यों का खण्डन किया । वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराया ।

हमने बहस पर मनन किया । आवेदन के तथ्यों का व जवाब का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थीगण ने यह आवेदन 251 के तहत प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी ने प्रचलित रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा बंद किये जाने बाबत कथन किया है। प्रार्थीगण ने अपनी सहायता में अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने बाबत सहायता चाही है व रास्ते को बंद नहीं करने बाबत सहायता चाही है। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का आवेदन 251 आरटीएक्ट के प्रवधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है। जिसका क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। परन्तु प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा रास्ते को खुलवाने बाबत कई आवेदन प्रस्तुत किये है जिसकी प्रतियां प्रस्तुत की गई है। उन आवेदनों के संलग्न फर्द मौका दिनांक 7.1.2022 आई एल आर पिपराली की प्रस्तुत की गई है। उसके अवलोकन के अनुसार भी उक्त रास्ता पूर्व में प्रचलित था। जिसे अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया है। उक्त प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आपत्ति आवेदन अप्रार्थी संख्या 1 का स्वीकार किया जाता है। आवेदन प्रार्थीगण 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का क्षैत्राधिकार का होने के कारण खारिज किया जाता है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ता प्रचलित रास्ता है तो जांच कर नियमानुसार उसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की की कार्यवाही करें तथा नियमानुसार रास्ते को खुलवाने की कार्यवाही की जावे।

आदेश आज दिनांक 18.7.2022 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी सीकर